15/6/17

भागूराम

पत्रावली आज न्याय आपके हार कोर्ट केम्प शेरगढ़ पेश हुई। प्रार्थी सं.1 एवं अप्रार्थी सं.1 उप. फैसेकार प्रतिवादी सं.2 से 5 उप.। प्रार्थीगण का इस प्रा० पत्र मे निवेदन रहा है कि साबिक खे. नं. 1283 हाल खे.नं 2107/1 व 2107/2 तथा 2107/3 मे अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थीगण जो भील है। उनकी विवादित भूमि का फर्जी विक्रय विलेख अपनी जाति भील बताकर करवा लिया है और राजस्व अभिलेख मे नां.क.सं. 947 दि० 20-5-2003 से अपने नाम लगवा ली है इस ना० क० मे पटवारी द्वारा विक्रय विलेख की तारीख अंकित नही की है जबकि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो ने कभी भी विवादित आराजी को अप्रार्थी 1 को बेचान नही किया है अत: विक्रय पत्र एवं ना० क० 947 प्रार्थीगण के अधिकारो पर शून्य है। अप्रार्थी 1 ने प्रार्थीगण की जमिनो पर कब्जा कर लिया है। अत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि रतना, लाडू, मंगला पि० गुल्ला जाति भील के पक्ष मे नियमन कमेटी द्वारा विवादित आराजी का दि. 3-5-1974 को नियमन किया गया है और मंगला द्वारा भागू वल्द गंभीरा जाति भील निवासी श्योपुरा को बेचान किया गया है और वाद पत्र मे भागू का पता रूपपुरा देवमाली बताया गया है अलावा इसके सन 1974 मे नियमन के बाद प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की चाराजोई नही करना मामले को संदिग्ध बनाता है। जाति बाबत कोई प्रूफ पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही पाया जाता अत: सव्यय निरस्त किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested